

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-160/2019

अशोक कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

..... विरोधी पार्टीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगॉन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए : श्री विभोर मयंक, अधिवक्ता।

विरोधी पार्टीगण के लिए : जी०ए०-IV के ए०सी०, अधिवक्ता।

04/31.01.2020 श्री विभोर मयंक, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और जी०ए०-IV के ए०सी० को सुना।

याचिकाकर्ता द्वारा इस आवेदन को सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-2363/1998 (आर०), जिसे गैर-अभियोजन के वजह से दिनांक 01.02.2019 को खारिज कर दिया गया था, की पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है।

इस आवेदन में दर्शाए गये कारणों से संतुष्ट होकर, इसकी अनुमति दी गई तथा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-2363/1998 (आर०) को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

(रोंगॉन मुखोपाध्याय, न्याया०)